Compliance of EDS raised for seeking Forest Clearance vide proposal no-FP/JH/Others/36290/2018 in respect of Digamber Jain Temple

Sl No	Query Raised	Compliance	Annexure
1	A.1.(ix)- Mention non-forest land, if any.	Applied area of 0.016 hectare of forest land laying within plot no-27 in village Parasnath and the temple exists over the entire applied forest land. There is no non forest land involve within the existing temple area. Therefore, Entry of 0 Ha of Non Forest Land has already being made in item no A.1.(ix).	
2	A.1.(x)- Years shouldn't be more than 99 years.	Yes, it has change to 99 years	
3	B.1.- Mention details of previous proposal submitted by UA.	Previously Proposal for diversion of 0.381 Ha was submitted vide proposal no FP/JH/Others/27739/2017 dated 01.11.2017. Request was submitted online to withdraw the said proposal dated 01.08.2018 as per the directions of DFO, Hazaribag Wildlife Division .DFO, Hazaribag Wildlife Division directed to submit a fresh proposal for diversion of forest land of 0.03 acre/0.012 hectare vide letter no 1123 dated 03.07.2018 (Copy enclosed as Annexure I) but after temple site visit, he suggested to submit the same over an area of 0.04 acre/0.016 ha Therefore, fresh proposal for diversion of forest land of 0.016 ha is being submitted	**Annexure I**
4	.I.- Here option No is contradictory to the justification statement.	Entry of Yes is being made	
5	. L.- CA land has to be given by UA	Undertaking for Identification and submission of CA land details is attached herewith as Annexure II	**Annexure II**

6	Additional Information – Upload plot wise authenticated land schedule of the proposed area.	Authenticated Land Schedule is attached herewith as Annexure III	**Annexure III**

Annexure I

झारखण्ड सरकार

कार्यालय–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग

Email- dfo-wlhaz@gov.in, dfowildlifehazaribag@yahoo.in,Tel. No.-06546-223767 (O), 9471196022, 8987790209

पत्रांक :– 1123 दिनांक :– 03/07/2018

सेवा में,

भरत कुमार मोदी,
अध्यक्ष, दिगम्बर जैन सम्मेदाचल विकास कमिटि,
इन्दौर।

विषय :– पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी में जैन मंदिर एवं अन्य निर्माण के संबंध में।

प्रसंग :– आपका *Online* प्रस्ताव *FP/JH/Others/27739/2017*

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक प्रस्ताव के संदर्भ में सूचित करना है, कि माननीय हरित न्याधिकरण, पूर्वी बेंच कोलकाता द्वारा O.A.14/2014/EZ रामलखन सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी, गिरिडीह के मौजा पीरटांड, थाना नं0–95, प्लॉट सं0–27 के वनभूमि एवं वन्यप्राणी आश्रयणी के रूप में अधिसूचित भूमि पर अतिक्रमण कर निर्मित मंदिर के नियमतिकरण का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। जैसा कि आप स्वयं विदित है कि वर्त्तमान में मंदिर हेतु अपयोजित रकबा मात्र 03 डीसमील (0.03 एकड़) है। परन्तु आपके द्वारा 0.381 हे0 (94 डीसमील) वनभूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। आप जब स्वयं विदित है, कि माननीय हरित न्याधिकरण, पूर्वी बेंच कोलकाता द्वारा O.A.14/2014/ EZ रामलखन सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश में आपको अतिक्रमित भूमि के नियमतिकरण हेतु प्रस्ताव समर्पित करने का आदेश दिया गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *Special leave to Appeal (Civil) No(s). 8519/2006 Union of India Vs State of Gujarat & others* में दिनांक *29 Sept. 2009* का न्यायादेश निम्नांकित है :– ***"No unauthorized construction shall be carried out or permitted in the name of Temple, Church, Mosque or Gurudwara etc. on public streets, public parks or other public places etc. In respect of unauthorized construction of religious nature which has already taken place, the State Governments and the Union Territories shall review the same on case to case basis and take appropriate steps as expeditiously as possible."*** के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय कक्ष में अवगत कराते हुए स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया था, कि मात्र 03 डीसमील, मौजा पीरटांड, थाना नं0–95, प्लॉट सं0–27 के वनभूमि पर अतिक्रमण को नियमतिकरण हेतु प्रस्ताव समर्पित करेंगे। आपके समर्पित *Online* प्रस्ताव पर वांछित दस्तावेज की भी मांग अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गई है। परन्तु त्रुटि का निराकरण अबतक आपके स्तर पर लम्बित है।

अतः आपको पुनः संसूचित करना है कि माननीय हरित न्याधिकरण (पूर्वी बेंच कोलकाता) के पारित न्यायादेश के आलोक में वनभूमि अतिक्रमण कर चौपड़ा कुण्ड अवस्थित निर्मित दिगम्बर जैन मंदिर का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत् नियमतिकरण का संशोधित प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी आपके इस रवैये को माननीय हरित न्याधिकरण, पूर्वी बेंच कोलकाता को प्रतिवेदित करते हुए अतिक्रमण अपील सं0– 234/2000 *Court of Divisional Forest Officer Cum Magistrate, Giridih* के दिनांक 20.06.2003 में पारित आदेश का अनुपालन करते हुए वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु कार्रवाई यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन,

3.7.18

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग

ज्ञापांक 1123 दिनांक 03/07/2018

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

3.7.18

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग

C:\All Section file Oct. 2017\FCA & NHAI file\NHAI Letter 17.docx

Annexure II

पार्श्वनाथ पहाड़ स्थित चोपड़ा कुण्ड मन्दिर एवं धर्मशाला

श्री दिगम्बर जैन सम्मेदाचल विकास कमिटी

Shri Digambar Jain Sammedachal Vikas Committee

प्रधान कार्यालयः मधुमिलन इंडस्ट्रीज लि.
5, साउथ तुकोगंज, मधुमिलन सिनेमा के सामने, इंदौर (म.प्र.) ✆ 0731-2512073-75

मधुबन कार्यालयः पोस्ट–शिखरजी (मधुबन), जिला–गिरिडीह (झारखण्ड), भारत
Post : Shikharjee (Madhuban), District - Giridih (Jharkhand), Pin - 825329, INDIA ✆ 06558-232347 (Office)

पार्श्वनाथ पहाड़ स्थित चोपड़ा कुण्ड में निर्मित मन्दिर में विराजमान प्रतिमाएँ

जैनियों के विश्वविख्यात पवित्र सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखरजी के चहुँमुखी विकास हेतु गठित कमिटी
Committee for overall Development of World Renowned sacred Pilgrimage Sammed Shikharjee

पत्रांक :

दिनांक :

Date – 09.10.2018

UNDERTAKING

We do here by undertake that suitable Compensatory Aforestation Land within Jharkhand State shall be submitted to Divisional Forest Officer, Hazaribagh Wildlife Division during the processing of Forest clearance proposal at Divisional Forest Office, Hazaribagh Wildlife Division, Hazaribagh.

For Shri Digamber Jain Sammedachal Vikas Committee

(Brijesh Tiwari)
Authorised Signatory

COURT FEE 5 रु. Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

अंचल अधिकारी पीरटांड़, गिरिडीह

Certified that folios is not available.

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	आपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios	तारीख, जबकी देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant
08.09.17	15.09.17	20.09.17	22.09.17	23.09.17

मौजा पारसनाथ चादर नं० - ६
थाना नं० - ९५
थाना पीरटांड
जिला - गिरिडीह

आवेदक : श्री दिगम्बर जैन सम्मेदाचल विकास कमिटी, चोपड़ा कुण्ड, श्री दिगम्बर जैन मन्दिर पारसनाथ, मधुबन, जिला गिरिडीह, झारखण्ड।
प्रसंग : अंचल कार्यालय पीरटांड के पत्रांक 884 दिनांक 5.9.2017।

पैमाना का हिसाब की मीजा पद इन्च

मन्दिर, मन्दिर प्रांगण एवं रास्ता हेतु मापी किया गया एवं प्रदर्शित किया गया लाल रंग :-

अन्दर मौजा/थाना नं० थाना खाता नं० प्लाट नं० कुल रकबा अन्दर रकबा वाकई
पारसनाथ/95 पीरटांड 25 27 150.13 एकड़ 0.96 एकड़

चौहद्दी : उत्तर + दक्षिण + पश्चिम - जुजो प्लाट, पूरब - जुजो प्लाट एवं सर्वे रास्ता प्लाट नं० 33

क्रम सं०	मौजा नाम थाना नं०	प्लाट सं०	कुल रकबा		सर्वे खतियान में दर्ज गैर म० खास किस्म जंगल				अधिसूचित वनक्षेत्र (जंगल)				अधिसूचित वनक्षेत्र से बाहरी भाग			
					कुल रकबा		वाकई रकबा		कुल रकबा		वाकई रकबा		कुल रकबा		वाकई रकबा	
			एकड़	हेक्टे०	एकड़	हेक्टे०	एकड़	हेक्टे०	एकड़	हेक्टे०	एकड़	हेक्टे०	एकड़	हेक्टे०	एकड़	हेक्टे०
1	पारसनाथ 95	27	150.13	60.781	150.13	60.781	0.96	0.388-6659 / 0.388 66397	116.20	47.044			33.93	13.73-684		

पिर द्वारा मापी की गयी नक्शा गया
23.09.17
कम्प्यूटर कर्ता
23.09.17
प्रतिलिपिकर्ता का हस्ताक्षर

समर्पित
अमीन
15/09/2017
अमीन
अनुमंडल कार्यालय
डुमरी (गिरिडीह)

सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि

23.09.17
प्रधान लिपिक
अंचल कार्यालय, पीरटांड (गिरिडीह)
अधिनियम 1952 के अधीन प्राधिकृत।

अंचल अधिकारी पीरटांड़, गिरिडीह